

**कार्यालय,****सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।****संख्या:- प्राविष/परिषद सम्बद्धता/2021/3537****लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021****कार्यालय ज्ञापः**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी कालन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा बौद्धिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य गतों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, (30-प्र0) लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

<b>संस्था का कोड एवं नाम : 4021-FACULTY OF PHARMACY CHANDRABHAN SINGH DEGREE COLLEGE, CHANDPUR, GONAPAR, JAUNPUR-222131</b>			
<b>क्र०सं०</b>	<b>पाठ्यक्रम का नाम</b>	<b>ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता</b>	<b>परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता</b>
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं अहदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभवी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध विन्या जना) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सज्ज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, FACULTY OF PHARMACY CHANDRABHAN SINGH DEGREE COLLEGE, CHANDPUR, GONAPAR, JAUNPUR-222131



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

**कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक 15-9-2020

:-कार्यालय आप:-

प्रिक्लि चरतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी कायनित्त जीक इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वीकिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, छाप्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अन्वय प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य नवीं पर विचार कछे हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के म0-3 में डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम सम्बन्धित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नान्त निर्णय लिया गया -

" निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी0सी0आई0 द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी0सी0आई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी0सी0आई0 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को ग्राह्य सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र0 सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम नाम	का	पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी0सी0आई0/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	4031	वैकल्पी जीक फार्मसी इन्वन्शन विड किली सीलिन, कन्दुरु, मोनापुर, जौनपुर।	डिप्लोमा इन फार्मसी	का	का	का

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था एम्बेड्डींग/पी0सी0आई0 द्वारा सिफ्टिली की शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एवम् उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, संशुद्ध विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित विनयों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क सैन अर्द्ध हेतु पाठ्यक्रमों हेतु रु0 22-150.00/- अर्द्धिन, दो वरीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु0-45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वरीय पाठ्यक्रमों (दो वरीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु0-20,000

*(Handwritten Signature)*

00 प्रतिवर्ष शुल्क की प्रत्येक छात्र/छात्र से प्राप्त किया जावेगा। सम्बन्ध के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सफल द्वारा निर्गत किये जाने वाले सार्वजनिक प्रकाशनों होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। बीच निराकरण समिति द्वारा यदि वर्ष 2020-21 हेतु पीछा का सुनिश्चयन किया जाता है तो पीछा की परीक्षाएं करें लागू होंगी।

- ✓ संस्था को (2020) प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, सम्बन्धों को सम्बद्ध किया जाना/ विनियमकारी-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्यात सार्वजनिक के अनुसार विविध एवं सम्बद्धता शुल्क जमा कराया होगा।
- ✓ संस्था को एडमिनिस्ट्रेशन/ फिजिकल/ आरटीसी के आगामी लक्ष्य हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये विधि/ नियमों/ अधिनियमों/ सार्वजनिक/ निदेशों/ निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा विभाग, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने को लिये बध्य होगी।
- ✓ विद्यमान इन फार्मों की पाठ्यक्रम की सम्बद्ध यदि सी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में अक्षम रहती है तो इस संस्था में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से निर्यात की कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई बंध बाधन किया जाता है तथा बाधन बंध के सम्बन्ध में ना. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति सम्बंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विद्यमान इन फार्मों की पाठ्यक्रम संशोधन करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु आयोजित करने होने के पूर्व पी.सी.आई.सी. से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को पत्राचार करना होगा संस्था उन्हें लक्ष्य की (कार्यालय/विभाग से माध्यम से प्रेषित संस्था संकेत पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक वृत्ति, स्टाफ, माध्यम-समय, समकाल, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, आजादास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिचय हेतु अनुमोदित वातावरण उपलब्ध करने के साथ-साथ लक्ष्य के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था का सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संशोधित पाठ्यक्रम को प्रस्तावित जाने हेतु विवेचना समिति को समस्त उपलब्ध कराने एवं अभिलेख, मुद्रित-समय, फर्नीचर, समकाल उपलब्ध हो जाये कि यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होये है कि संस्था करीबन का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता सम्बन्ध किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने लक्ष्य शर्तों का पालन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(100 आरक्षणों/ शिक्षा)  
सचिव

पुस्तक- प्राथमिक/ परिषद सम्बद्धता/ 2020/ 1972-3141

वर्ष दिनांक: 18-09-2020

प्राथमिक- प्रवर्तनाध्यक्ष/ निर्देशक, ईकॉलोजी ऑफ फार्मसी कन्वन्शन सिंह शिवाजी कॉलेज, रायपुर, चैन्नपुर, चैन्नपुर।

(100 आरक्षणों/ शिक्षा)  
सचिव

कार्यलय,  
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2019/1133

लखनऊ दिनांक 15-8-2019

कार्यालय द्वारा-

संश्लिष्ट प्राथमिक शैक्षणिक विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं 2019-20 हेतु विभागात्मक प्राथमिक शैक्षणिक विभाग संसदों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के लिये राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ की सम्बद्धता/सम्बद्धता विभाग प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2019 को लखनऊ प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ की सम्बद्धता से परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित गई सम्बद्धता को सम्बद्धता/पूर्व में संश्लिष्ट संस्थाओं को सम्बद्धता विभाग/सांख्यिक/प्रथम श्रेणी वाली हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने को निर्णय लिया गया।

उक्त को अनुमोदन में सम्बद्धता परिषद की बैठक के तदनुसार में विभागात्मक इन कार्यालयी अनुमोदन संश्लिष्ट करने वाली गई संस्था को सूचना का प्रसारण किया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गठन विधान-विनर्त का निर्णय लिया गया -

समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया कि ऐसी व्यवस्थापित निम्न विस्तार इन कार्यालयी संसदों को एजडाईसिटीआई० एवं पीपीआईआई० द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है एवं परिषद की निर्देशन समिति द्वारा निर्देशनात्मक एजडाईसिटीआई० द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों को अनुसरण सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, के परिषद ने समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

साथ विभागात्मक संश्लिष्ट संस्था को परिषद की निर्देशन तन्मते एवं विचार-विमर्श द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा किए गये निर्णय के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का सत्र 2019-20 हेतु निर्धारित शर्तों को अधीन पाठ्यक्रम एवं उत्तर में उचित प्रवेश प्रदान हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	संस्था का नाम	एजडाईसिटीआई०/पीपीआईआई० द्वारा अनुमोदित प्रदान	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रदान
1	कौन्सिल ऑफ कार्यालयी विभागात्मक शिक्षा विभागात्मक संसदें लखनऊ	परिषद इन कार्यालयी		सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रदान	सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रदान

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एजडाईसिटीआई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों को पूर्णतः मान्य करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदान किए गए प्राथमिक शिक्षा परिषद निर्देशनात्मक प्रदान तथा अन्य निर्धारित विधानों एवं शर्तों का अनुसरण करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन शर्तों पर अनुमोदन (तीन शर्तों पर अनुमोदन शर्तों) हेतु ₹० - 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं पूरा तथा दो शर्तों पर अनुमोदन हेतु ₹० - 22,500.00 शुल्क ही प्रवेश प्रदान/प्रदान से प्राप्त किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त प्रवेश में शुल्क के अन्तर्गत में प्रदान-प्रदान पर प्रदान द्वारा निर्धारित प्रदान करने वाले साक्षात्कार प्रदानों द्वारा, और अनुमोदन प्रदानों द्वारा प्रदान प्रदान प्रदान। निर्देशनात्मक समिति द्वारा परिषद सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश का अनुमोदन किया जाता है, जो प्रवेश की निर्धारण एवं अनुमोदन।

